परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

संख्या–3344एलएएस / 2011–978एलएएस / 2000 दिनांक : अगस्त 27 2011

1–प्रधान प्रबन्धक(के0का0 / डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3–समस्त सहा0वि0अधि0 / स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–अनुबंधित वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में योजित प्रतिकर वादों में प्रतिकर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में निजी वाहने, वाहन स्वामियों से अनुबंध पर लेकर संचालित की जाती हैं। ऐसी वाहनों का संचालन परिवहन निगम के स्तर से विभिन्न मार्गों पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार किया जाता है तथा वाहन बीमा से आच्छादित होती है। अनुबन्ध के अनुसार वाहन के चालक का नियोक्ता, वाहन स्वामी तथा परिचालक का नियोक्ता परिवहन निगम होता है।

अनुबन्धित वाहनों के संचालन के दौरान दुर्घटना घटित होने पर प्रतिकर हेतु पीड़ित यात्रीगणों से प्रतिकर वाद योजित होता है। ऐसे वादों के प्रतिवाद में निगम की ओर से समयान्तर्गत जवाब दावा दाखिल कर सुदृढ़ पैरवी किये जाने की प्रबल आवश्यकता होती है। इस तारतम्य में निम्नांकित तथ्य विशेष कर उल्लेखनीय है।

अनुबन्ध की शर्तो सं0–10 में स्पष्ट प्रविधान है कि "चालक की किसी त्रुटि असावधानी, दुर्घटना या अन्य अवैध कार्यो का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रतिकर या अन्य देय धनराशि के भुगतान का दायित्व बस स्वामी या अधिनियमों के अन्तर्गत बीमा कम्पनी का होगा। किसी भी अवस्था में चालक की त्रुटि असावधानी, दुर्घटना या अवैध कार्यो का दायित्व प्रथम पक्ष का नहीं होगा। यदि किसी न्यायालय आदि के आदेशों के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा कोई भुगतान किया गया हो तो द्वितीय पक्ष के देयकों से या विधियों द्वारा प्रथम पक्ष व्यवसायिक दर पर ब्याज सहित वसूल करने के लिये अधिकृत होगा।"

वाहन स्वामी बीमा कम्पनी से परिवहन निगम में बस अनुबन्धित करने हेतु इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में बस अनुबंधित करने में उन्हें (बीमा कम्पनी) कोई आपत्ति नहीं है, तथा उनके (बीमा कम्पनी) द्वारा बीमित बस द्वारा अनुबन्धित अवधि में कारित दुर्घटना के फ़लस्वरूप देय प्रतिकर का दायित्व वाहन स्वामी / बीमा कम्पनी का होगा।

अनुबन्ध पत्र में उपरोक्तानुसार स्पष्ट प्रविधानों के बावजूद बीमा कम्पनियों, राजस्थान स्टेट सेड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाम कैलाश नाथ कोठारी व अन्य (1997) 07 एससीसी 481 में मा0 उच्चतम न्यायालय के स्तर से पारित निर्णय के आधार पर स्वयं प्रतिकर के भुगतान के दायित्व से मुक्त होकर, प्रतिकर भुगतान का दायित्व निगम पर अधिरोपित करने में सफल हो जाते थे। फ़लस्वरूप ऐसे पारित होने वाले मा0 अधिकरण के निर्णय से निगम को प्रतिकर का भुगतान करना पड़ता था तथा परिवहन निगम को भुगतान किये गये प्रतिकर की वसूली वाहन के स्वामी से अनुबन्ध के अनुपालन में करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता था।

उपर्युक्त कठिनाईयों को देखते हुये श्री कुलसुम व अन्य में मा0 अधिकरण के स्तर से पारित एवार्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील अस्वीकृत हो जाने पर मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 योजित की गयी थी। मा0 उच्चतम न्यायालय दिल्ली के स्तर से ऐसी 07 एस0एल0पी0 (क्रमशः–5902 / 2011, 03 / 11, 04 / 11, 05 / 11, 06 / 11, 07 / 11 को एस0एल0पी0 सं0–1969 / 08 से सम्बद्ध करते हुये दिनांक–25–07–2011 को निर्णय पारित किया गया है जिसकी छाया प्रतियां निगम

मुख्यालय पर सहायक विधि अधिकारियों की दिनांक 28–07–2011 को हुई बैठक में निरित की जा चुकी हैं। आशा है कि क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की भी गयी होगी तथापि उक्त निर्णय के व्यापक पहेलुओं के दृष्टिगत प्रस्तुत परिपत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उक्त निर्णय के आलोक में निम्नांकित कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है।

मा0 उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि अनुबन्धित बसों से होनी वाली दुर्घटनाओं में प्रतिकर के भुगतान का पूर्ण दायित्व वाहन की बीमा कम्पनी की होगी तथा परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान के दायित्व से मुक्त कर दिया है।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है।

1– अनुबन्धित वाहन से हुयी दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर वाद जो विभिन्न मा0 मोटर दुर्घ0 दावा अधिकरणों में विचारार्थ लम्बित हो उनके विचारण के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की ओर मा0 अधिकरण का ध्यान आकृष्ट किया जाये तथा यथा संभव संक्षिप्त लिखित बहस के साथ उक्त निर्णय की प्रति दाखिल करायी जाये।

2–मा0 अधिकरण द्वारा किन्ही मामलों में निगम के विरूद्व यदि निर्णय भी पारित कर दिया हो तो भी यथा सम्भव मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक–25–07–2011 की प्रति समुचित प्रार्थनापत्र से प्रस्तुत कर पुनर्विचार हेतु मा0 न्यायालय से अनुरोध किया जाये। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से निगम का हित कुप्रभावित न हो तथा उक्त निर्णय/नजीर का सदुप्रयोग हो सकें।

3– निगम की मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसी प्रकृति की अपीलो में विचारण के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय के वर्णित निर्णय की ओर ध्यान अकृष्ट कर सुदढ़ पैरवी करायी जाये।

4–जिन मामलो में एवार्ड का अनुपालन करते हुये वाहन स्वामी के विरूद्व वसूली कार्यवाही कर दी गयी है और ऐसी उक्त वसूली के विरूद्व वाहन स्वामी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित कर रखी है उनमें मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का उल्लेख करते हुये बीमा कम्पनी को भी पक्षकार बनाये जाने का उल्लेख प्रतिशपथपत्र में किया जाये।

5–मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में अनुबंधित बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में प्रतिकर के भुगतान का पूर्ण दायित्व बीमा कम्पनी पर ही अधिरोपित किया गया है। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी के पास मुख्य रूप से बचाव का मात्र यही तर्क शेष रह जाता है कि अनुबंधित वाहन निर्धारित मार्ग पर बिना परमिट और बिना चालक लाइसेन्स के संचालित की जा रही थी। अतः निगम के हित को देखते हुए यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय कि अनुबंधित वाहनों को मार्ग पर भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि चालक के पास चालक लाइसेन्स अनिवार्य रूप से हो तथा रूट परमिट भी प्रत्येक दशा में मौजूद हो।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुबंधित बसों की दुर्घटना से उत्पन्न वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से ध्यानाकर्षण कर निगम पक्ष में निर्णय पारित कराये।

ध्यान रहे कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अनुबंधित बसों की दुर्घटना से उत्पन्न वादों में किसी भी स्तर से यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को विचारण के दौरान प्रकाश में/न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसमें निगम का हित कुप्रभावित हुआ तो इसके लिये पैरोकार सम्बन्धित अधिवक्ता तथा सहायक विधि अधिकारी अथवा सहायक विधि अधिकारी का कार्य देख रहे अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

(सजेन्द्र सिंह)
प्रबन्ध निदेशक